सहायक विधि सलाहकार (एएलए) (तदर्थ), अधीक्षक (विधि) और सहायक (विधि) के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार श्री नीरज कुमार द्वारा विधि कार्य विभाग के सभी सहायक विधि सलाहकार (तदर्थ), अधीक्षक (विधि) और सहायक (विधि) को **दिनांक 06.10.2025 से 10.10.2025** तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया।

इस मॉड्यूल को निम्नलिखित विषयों पर अभिकेंद्रित करते हुए चार अध्यायों में संरचित किया गया था:

i **अभिवचनों(प्लीजिंग) का परिचय -** इसमें विधि अभिवचनों को शासित करने वाले उद्देश्य, अवसंरचनात्मक सिद्धांत और नियम शामिल हैं, जिसमें प्रक्रियात्मक विधि के तहत प्रारूपण तकनीक और अपेक्षाएं शामिल हैं।

ii **शपथ पत्र -** शपथ पत्र की प्रकृति, सी.पी.सी. और अन्य संविधियों के तहत विधिक प्रावधान, उनके साक्ष्य महत्व और मिथ्या शपथ पत्र दाखिल करने के कानूनी निहितार्थों की व्याख्या।

iii **कैट/उच्च न्यायालय/अधिकरणों को उत्तर** - प्रक्रियागत अनुपालन, कानूनी आपत्तियों और उत्तरों के प्रारूपण पर जोर देते हुए, नोटिसों और याचिकाओं का जवाब देने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

iv **उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय -** सेवा मामलों और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित प्रमुख निर्णयों का सारांश, विभागीय अधिकारियों के लिए व्याख्यात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों की विधिक और प्रक्रियात्मक दक्षताओं को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे मुख्य विधिक प्रक्रियाओं के बारे में उनकी समझ सुदृढ़ हुई है और विधि संबंधी मामलों को प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक निपटाने की उनकी क्षमता में सुधार हुआ है। अपने दैनिक कार्यों में स्थिरता, सटीकता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देकर, प्रशिक्षण ने विभाग में विधि कार्य की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।